न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2003/00005

मिसल नम्बर–414 / 2006

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1. हरजीत सिंह पुत्र गुरूबक्श सिंह
2. जसवंत सिंह पुत्र गुरूबक्श सिंह जाति– जट सिक्ख साकिन कुन्हाडी कोटा
3. महेन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह
4. कुलवंत सिह पुत्र जोगेन्द्र सिह जाति– – जट सिक्ख साकिन नयाखेडा कोटा

–अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 24/12/24

उपस्थिति:–

1.सरकार पैरोकार

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थीगण के खाते जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 के अनुसार ग्राम कुन्हाडी की खसरा नम्बर मिन 139 रकबा 14 बीघा आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बर के नए खसरा नम्बर 96 रकबा 2.26 है0 तथा खसरा नम्बर 96 / 451 रकबा 0.25 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.51 बनाये गये। जबकि सेटलमेंट पूर्व का रकबा 14 बीघा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 2.24 है0 बनता है। भू प्रबंध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण के खाते 0.27 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 96 रकबा 2.26 है0 में से 0.27 है0 भूमि वाके ग्राम कुन्हाडी को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 जमाबंदी 2058 से 2061 संलग्न किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 96 रकबा 2.26 है0 तथा खसरा नम्बर 96/451 रकबा 0.25 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.51 भूमि नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90बी) आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरा नम्बरान पर घनी आबादी बसी हुई है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है। आबादी बसी हुयी है। हमारे विनम्र मत में हस्तगत आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होने तथा मौके पर आबादी बसी होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नही है। अतः प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि भू प्रंबध के दौरान रकबे में हुए किसी भी परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में चारा जोरी करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा